

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक- 867 / रा0

दिनांक- 10.06.2022

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

सी0सी0एल0 आम्रपाली-चन्द्रगुप्त परियोजना,

डकरा, राँची।

विषय:-

चतरा जिलान्तर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम-उडसु में आम्रपाली-चन्द्रगुप्त खुली खादान परियोजना में पड़ने वाले गैरमजरूआ खास जंगल भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-GM (A-C)PD/NOC/2021-21 650, दिनांक-29.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में CCL, आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त खुली खादान परियोजना के लिए निम्नांकित गैरमजरूआ खास भूमि जंगल भूमि का विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है:-

क्र0	अंचल	ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	टण्डवा	उडसू	51	544	1.63	गैरमजरूआ खास जंगल
				586	3.22	
				605	3.70	
कुल					8.55	

अनुलग्नक-यथोक्त।

10/6/22

अपर समाहर्ता

चतरा

विश्वासभाजन,

10/6/22

उपायुक्त,

चतरा।

ज्ञापांक- 867 / रा0

दिनांक- 10.06.2022

प्रतिलिपि:-

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ समर्पित।

10/6/22

अपर समाहर्ता

चतरा

10/6/22

उपायुक्त,

चतरा।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

सं० 868

दिनांक 10-06-2022

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेन्सियों/ निगमों/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:-

क्र०	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	गैरमजरूआ खास जंगल/जंगल झाड़ी का रकबा (ए० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सी०सी०एल० आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त खुली खादान परियोजना	टण्डवा	उडसू	54	51	544	1.63
						586	3.22
						605	3.70
कुल—							8.55

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, महाप्रबंधक, CCL आम्रपाली-चन्द्रगुप्त परियोजना, टण्डवा को सी०सी०एल० आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त खुली खादान परियोजना के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अपर समाहर्ता
चतरा
19/5/22

उपायुक्त,
चतरा।